

स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश  
प्रेषक,

संख्या 6/एफ1-305/16 श्र0सं0 81

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

गोपाल मीणा,

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सहायक श्रमायुक्त सारण(छपरा) ✓

श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01/सीतामढ़ी-01/मोबास-01 ।

पटना, दिनांक- 4.10.16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष 2230-श्रम तथा गोजगार-01-श्रम-103-रासा-व श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-  
उपशीर्ष 0103-वाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विषय कोड-पी 2230011030103) के  
अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में  
वाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले वाल श्रमिकों हेतु चालू  
वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त ₹ 3000/-की दर से नभी 21 वाल श्रमिकों के  
लिए कुल राशि ₹ 63,000 ( ₹ तिरेसठ हजार) मात्र निधि का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार किया  
जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/त्रि0 दिनांक-03.06.2016 एवं  
वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से  
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा  
दी जाय ।
5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभजन,

20/09/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 81

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/09/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

\*स्पीड  
पोस्ट

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 81

पटना, दिनांक 4.10.16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित  
प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2  
सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, (शोध) एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-295, 296, एवं 271 (श्रम पक्ष)  
क्रमशः दि.-27.09.16 एवं 30.08.16 के आलोक में)/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/  
प्रशाखा-6, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

20/09/16  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में मुख्य शर्षि 2230 श्रम तथा राजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103 सामान्य श्रम कल्याण-संग संख्या-26 उपशीर्ष-0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विषय कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त निधि का समर्पित आवंटन की विवरणी-

| क्र. सं. | कार्यालय का नाम             | बच्चे की संख्या | सामग्री एवं पूर्तियाँ (21 01) ₹ 2500/- राज्य एवं ₹ 500/- बस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से | दवा भण्डार इकाई (21 02) विमुक्ति के समय दवा हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से | आहार/पथ्य (21 03) विमुक्ति के समय भोजन /नाम्ता हेतु ₹ 100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से | कुल योग | अभ्युक्ति   |
|----------|-----------------------------|-----------------|---|--|---|---------|---|
| 1        | 2                           | 3               | 4   | 5  | 6   | 7       | 8   |
| 1        | सहायक श्रमायुक्त सारण(छपरा) | 12              | 33600   | 1200   | 1200  | 36000   | श्रम अधीक्षक, सारण(छपरा) के पत्रांक-525 दि.-01.09.16 के आलोक में आपरेशन मुस्कान के तहत छतीसगढ़ से विमुक्त 01 बाल श्रमिक एवं पत्रांक-526 दिनांक-01.09.16 के आलोक में 11 बाल श्रमिकों के लिए। |
| 2        | श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01  | 03              | 8400  | 300  | 300   | 9000    | श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक 840 दिनांक-22.08.16 के आलोक में (19.08.16 को विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए)  |
| 3        | श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी-01   | 04              | 11200   | 400  | 400   | 12000   | श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक-982 दि.-17.09.2016 के आलोक में।   |
| 4        | श्रम अधीक्षक, सीवान-01      | 02              | 5600  | 200  | 200   | 6000    | श्रम अधीक्षक, सीवान के पत्रांक-469 दि.- 03.09.2016 के आलोक में।   |
| कुल योग  |                             | 21              | 58800   | 2100   | 2100  | 63000   |   |

कुल आवंटित राशि ₹ 63,000 ( ₹ तिरेसठ हजार) मात्र ।

*(Handwritten Signature)*

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।